संख्या-08/2019/3845 ई-2/तेरह-2018-93/2016

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 11 जनवरी, 2019

विषय:- जनपद गौतमबुद्धनगर में बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृ ष्ठांकितअपने पत्र सं0-138/5/आबकारी/एफ0एल0-7 बार/गौतमबुद्धनगर दिनांक 28 अक्टूबर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2018 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 17-10-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-139/दस-लाइसेंस-64/एफ0एल0-6,7/सनासुनू हॉस्पिटलिटी/बार अनु0 /नोएडा, दिनांक 28 नवम्बर,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मैसर्स सनासुनू हॉस्पिटलिटी प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय सी0-27 टाप फ्लोर, पंचशील एनक्लेव, नई दिल्ली 110017 द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट "रूईन पब बाई इम्परफैक्टो" शाप नं0-1,2 एवं 3 पंचमतल, लॉजिक्स मॉल, सेक्टर-32 नोएडा गौतमबुद्धनगर को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन देने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत होटल/रेस्टोरेन्ट्स में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-08/2019/3845 ई-2/तेरह-208 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-139/दस-लाइसेंस-64/एफ0एल0-6,7/सनासुनू हॉस्पिटलिटी/बार अनु0 /नोएडा, दिनांक 28 नवम्बर,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।